-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कारावास व 19000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग **02 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कारावास व 19000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना मरका पर पंजीकृत अभियोग- 29/12 धारा 308/34/323/34/504 भादवि के 04 अभियुक्तों 1-शेरा, 2-कल्लू, 3-महेश व 4-नत्थू पुत्रगण हीरालाल साहू प्रत्येक को **03-03 वर्ष के कारावास व कुल 16000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना बिसंडा पर पंजीकृत अभियोग- 269/11 धारा 504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-बालकुमार व 2-फूलकुमार पुत्रगण भइयालाल निवासीगण बिलगवां थाना बिसंडा जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।